

प्रपत्र II

पावरग्रिड भाडला - III ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उपधारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड भाडला - III ट्रांसमिशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग नई दिल्ली के समक्ष पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य संपत्तियों के संबंध में पारेषण लाइसेंस देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उपधारा (2) के तहत एक आवेदन किया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क. मौजूदा लाइसेंस का विवरण - 344/टीएल/2023

ख. जोड़ने या हटाए जाने वाले पारेषण तत्व का विवरण:

क्रम संख्या	पारेषण परिसंपत्तियों और स्थान का नाम	लाइन की लंबाई/क्षमता	अनुमानित समापन लागत	अनुसूची सीओडी (जोड़ने के मामले में)	टिप्पणियाँ
1	भाडला - III में 1 नग 400 केवी बे	1 नग 400 केवी बे	₹ 13.37 करोड़	31.03.2026	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना है

2. आयोग के समक्ष दायर पूरा आवेदन और अन्य दस्तावेज सभी की पहुंच के लिए पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय - दवारा ईडी (टीबीसीबी), पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुडगांव 122001 में श्री के के चौधरी, परियोजना प्रभारी

पावरग्रिड भाडला - III ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

3. आपतियां या सुझाव, यदि कोई हों, समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को आपत्ति(ओं)/सुझाव(ओं) की एक प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष दाखिल किए जाएं।

स्थान:

दिनांक:

परियोजना प्रभारी,

पावरग्रिड भाडला - III ट्रांसमिशन लिमिटेड